पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन नं0–06/2023

कार्यालय
महाप्रबन्धक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0– ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/06/2023 दिनांक 08.09.2023

विषयः – ट्रेन संचालन के दौरान स्टेशन मास्टर एवं चालक दल द्वारा बरती जानेवाली सावधानियॉ ।

1. संक्षिप्त परिचयः–

दिनांक 22.05.2023 को धनिछा–कर्मनाशा स्टेशन के मध्य अप लाइन में कन्टेनर ट्रेन एम.जे.सी.जी./27076 के दो वैगनों के अवपथन की दुर्घटना हुई । इस दुर्घटना में बी.एल.सी वैगन पर लदे एक कन्टेनर फिसलकर रनिंग लाइन को बाधित कर रहा था । स्टेशन मास्टर धनिछा द्वारा ऑल राईट सिगनल का आदान–प्रदान करते समय कुछ असामान्य आवाज, चिंगारी एवं धूल देखा गया तथा ओ.एच.ई. के ट्रिप करने की घटना हुई । इस पर स्टेशन मास्टर धनिछा द्वारा वॉकी–टॉकी के माध्यम से ट्रेन के चालक दल ट्रेन को रोकने के बारे में सूचित किया गया तथा ट्रेन मैनेजर/गार्ड को लाल बत्ती दिखलाया गया था, लेकिन ट्रेन के चालक दल लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर द्वारा जैसी तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी एवं आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए थी वैसा ट्रेन के चालक दल द्वारा नहीं की गयी । आगे जाकर इस ट्रेन के दो वैगनों का धनिछा–कर्मनाशा खंड के मध्य अवपथन हो गया । स्टेशन मास्टर कर्मनाशा द्वारा सक्षम कर्मचारी से लाइन के बाधा मुक्त होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बगैर डाउन लाइन से ट्रेन चला दिया गया ।

2. घटनाक्रमः–

(I) दिनांक 22.05.2023 को कन्टेनर ट्रेन एम.जे.सी.जी./27076 दुर्गावती स्टेशन से थ्रू पास करते समय दुर्गावती स्टेशन सेक्शन के अंदर प्वाइंट नं0 42A(किलोमीटर 629/13A) के पास एक वैगन 03.27 बजे अवपथित हो गया ।

(II) एक वैगन के अवपथित होने के कारण बी.एल.सी रेक पर लगा एक कन्टेनर अपने मूल स्थान से एक ओर झुक गया और धनिछा स्टेशन के होम सिगनल के पास ओ.एच.ई. मास्ट से टकराकर रिवर्सिवल लाइन पर नीचे गिर गया और लाइन को बाधित कर दिया । लेकिन ट्रेन मैनेजर/गार्ड को इस घटना का पता नहीं चला ।

(III) स्टेशन मास्टर धनिछा द्वारा वॉकी–टॉकी के माध्यम से ट्रेन के चालक दल को ट्रेन रोकने के बारे में सूचित किया गया तथा ट्रेन मैनेजर को लाल बत्ती दिखलाया गया था, लेकिन ट्रेन के चालक दल लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर द्वारा ट्रेन रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

(IV) ट्रेन धनिछा स्टेशन थ्रू पास करने के बाद कर्मनाशा स्टेशन के होम सिगनल पास करने के बाद दो अन्य वैगन के अवपथन के पश्चात् 03.40 बजे रूक गयी ।

(V) यह ज्ञात होने के बाद भी कि ट्रेन अवपथित हो गयी है स्टेशन मास्टर कर्मनाशा द्वारा लाइन के बाधा मुक्त होने का प्रमाण–पत्र सक्षम कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये बगैर एवं सर्तकता आदेश जारी किये बगैर डाउन लाइन से ट्रेन चला दी गयी ।

3. प्रक्रियागत विफलताएँः—

- इस दुर्घटना में लोको पायलट/सहायक लोको पायलट द्वारा सामान्य नियम 4.41 एवं सामान्य नियम 2.11(1) का उल्लंघन ।
- ट्रेन मैनेजर द्वारा सामान्य नियम 4.42, सहायक नियम 4.42(घ), सामान्य नियम 4.43 एवं 2.11(1) का उल्लंघन ।
- स्टेशन मास्टर कर्मनाशा द्वारा सामान्य नियम 6.04 एवं 2.11(1) का उल्लंघन ।

4. बरती जानेवाली सावधानियाँः—

- चालक दल द्वारा ट्रेन परिचालन के दौरान घुमाव पर एवं एक नियत समय अंतराल पर पीछे की ओर देखकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रेन सुरक्षित एवं पूरी आ रही है ।

- ट्रेन मैनेजर/गार्ड द्वारा ट्रेन परिचालन के समय स्टेशन मास्टर से ऑल राईट सिगनल का आदान—प्रदान अवश्य किया जाना चाहिए तथा ट्रेन गुजरने के बाद पीछे मुड़कर यह सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन मास्टर द्वारा किसी प्रकार का सिगनल/लाईट तो नहीं दिखलाई जा रही है ।

- स्टेशन मास्टर द्वारा किसी भी ट्रेन के अवपथन एवं दुर्घटनाग्रस्त होने पर या दुर्घटना की सूचना मिलने पर प्रभावित खंड के अन्य लाइनों पर ट्रेन परिचालन तत्काल रोक दिया जाना चाहिए और सक्षम कर्मचारी द्वारा लाइन के बाधा मुक्त होने का प्रमाण—पत्र प्राप्त होने के बाद ही बाधा मुक्त लाइन से ट्रेन का परिचालन करना चाहिए ।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरिक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो ।

SUNIL KUMAR

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2023.09.08 17:33:03 +05'30'

(सुनील कुमार)
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात
कृते महाप्रबंधक/संरक्षा

प्रतिलिपिः—

1. महाप्रबन्धक के सचिव— महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबन्धक के उप सचिव— अपर महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुपरिप्र0, प्रमुविई, मुपरिप्र/सा0
4. मंडल रेल प्रबन्धक/धनबाद, डीडीयु, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमंपरिप्र0, वमंसंधि0, वरि0मं0वि0ई0(परि0)/धनबाद, डीडीयु, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।